

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद बस्ती

दिनांक 15.06.2021

थाना पैकोलिया जनपद बस्ती पुलिस द्वारा रुपये 25 हजार के इनामिया तीन वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री आशीष श्रीवास्तव के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी हर्षया श्री शेषमणि उपाध्याय के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष पैकोलिया श्री धर्मेन्द्र कुमार तिवारी मय पुलिस टीम द्वारा थाना पैकोलिया जनपद बस्ती पर पंजीकृत मु0अ0सं0 78/2021 धारा 307/504/506/427/34 IPC से सम्बंधित रुपये 25 हजार के पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय बस्ती रवाना किया गया ।

(1) शिवम तिवारी उर्फ कल्लू तिवारी पुत्र देवमणि तिवारी उम्र करीब 20 वर्ष सा0 बहवा कलानी थाना छावनी जनपद बस्ती को दिनांक-12.06.2021 को थानाध्यक्ष पैकोलिया मय पुलिस टीम द्वारा ग्राम गाजीपुर मोड पुलिया से गिरफ्तार किया गया ।

(2) अभिमन्यु सिंह पुत्र धनन्जय सिंह उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम लजघटा थाना छावनी जनपद बस्ती को दिनांक-13.06.21 को समय 15:20 बजे STF टीम लखनऊ द्वारा नरसिंहपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार कर थाना पैकोलिया जनपद बस्ती पर दाखिल किया गया ।

(3) आदित्य वर्मा उर्फ आदित्य नाथ चौधरी पुत्र अमरपाल वर्मा उम्र 20 वर्ष निवासी देवकली रानी थाना छावनी जनपद बस्ती को आज दिनांक 15.06.2021 को समय 07:30 बजे थानाध्यक्ष पैकोलिया मय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त पुरैना खास मोड तिराहा से घटना मे प्रयुक्त एक एक अदद अवैध पिस्टल .32 बोर व एक अदद जिन्दा व एक अदद खोखा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. शिवम तिवारी उर्फ कल्लू तिवारी पुत्र देवमणि तिवारी उम्र करीब 20 वर्ष सा0 बहवा कलानी थाना छावनी जनपद बस्ती ।
2. अभिमन्यु सिंह पुत्र धनन्जय सिंह उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम लजघटा थाना छावनी जनपद बस्ती ।
3. आदित्य वर्मा उर्फ आदित्य नाथ चौधरी पुत्र अमरपाल वर्मा उम्र 20 वर्ष निवासी देवकली रानी थाना छावनी जनपद बस्ती ।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद अवैध पिस्टल .32 बोर व एक अदद जिन्दा व एक अदद खोखा कारतूस |

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 07.06.2021 को रामसुख यादव पुत्र रामजतन यादव निवासी करानी खुर्द थाना छावनी जनपद बस्ती द्वारा थाना पैकोलिया जनपद बस्ती पर आकर लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि मेरा लड़का विनय यादव दिनांक 05.06.2021 को ग्राम बड़ेरिया थाना पैकोलिया जनपद बस्ती में शादी बारात में जा रहा था कि रास्ते में समय लगभग 22.30 बजे बड़ेरिया मोड़ पर पहुँचा तो सामने से मोटर साइकिल से तीन व्यक्ति आ रहे थे जिसमें शिवम तिवारी मोटर साइकिल चला रहा था तथा बीच में अभिमन्यु और आदित्य पीछे बैठा हुआ था। तीनों लोगों द्वारा मेरे लड़के को रोका गया और जैसे ही मेरा लड़का गाड़ी से उतर रहा था कि एकाएक आदित्य वर्मा ने अपने पिस्टल से गोली मार दी ज्यो कि मेरे लड़के के नाभि के नीचे आकर लगी और अभिमन्यु पुत्र धनन्जय सिंह अपने पिस्टल में गोली भर रहे थे। आदित्य के गोली मारने के बाद मेरा लड़का उसे धकेल कर जान बचाकर भागा तो अभिमन्यु ने भी गोली मारी लेकिन मेरा लड़का बाल-बाल बच गया और जाकर झाड़ी में छिप गया। मेरे लड़के की मोटर साइकिल को भी क्षतिग्रस्त कर दिये और गाली गुप्ता देते हुए जान से मार डालने की धमकी देते हुए खोज रहे थे कि सड़क के किनारे आस-पास के लोग दौड़कर वहाँ आये तो तीनों हसीनाबाद के तरफ भाग गये।

जिसके सम्बन्ध में थाना पैकोलिया जनपद बस्ती पर मु0अ0सं0 78/2021 धारा 307/504/506/427 IPC पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त आदित्य वर्मा पुत्र अमरपाल वर्मा निवासी देवकली रानी थाना छावनी जनपद बस्ती द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि हम लोग दिनांक 05.06.2021 को बारात से लौटते समय हसीनाबाद के पास भीटी मिश्र के पास हुए झगड़े के दौरान अपने बचाव में फायर कर दिया था जिसकी गोली विनय यादव उर्फ रोहित पुत्र रामसुख यादव निवासी कलानी खुर्द थाना छावनी जनपद बस्ती को लग गया था। घटना के दिन से ही हम सभी घर पर नहीं गये हैं और इधर उधर छिप छिपा कर रह रहे थे। कि जब मुझे पता चला कि मेरे दोनों साथी शिवम तिवारी उर्फ कल्लू तिवारी व अभिमन्यु सिंह जेल चले गये हैं तो मैं सोचा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है तो थाना पैकोलिया की तरफ ही आ रहा था किन्तु ज्यो ही गाड़ी से हसीनाबाद उतरा तो मेरी हिम्मत नहीं हुई और मैं वहाँ से सवारी के इन्तेजार में पैदल यहाँ पुरैना खास मोड़ तिराहा तक आया था कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया।

अभियुक्त आदित्य वर्मा उर्फ आदित्य नाथ चौधरी पुत्र अमरपाल वर्मा निवासी देवकली रानी थाना छावनी जनपद बस्ती का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 1326/17 धारा 147/308/323/506 भादसं व 51 आपदा प्रबन्धन एक्ट थाना छावनी जनपद बस्ती ।
2. NCR NO 101/19 धारा 323 IPC थाना छावनी जनपद बस्ती ।
3. मु0अ0सं0 200/20 धारा 323/504/506 भादसं थाना छावनी जनपद बस्ती ।
4. मु0अ0सं0 78/21 धारा 307/504/506/427/34 भादसं थाना छावनी जनपद बस्ती ।
5. मु0अ0सं0 82/21 3/25 आर्म्स एक्ट थाना छावनी जनपद बस्ती ।

अभियुक्त अभिमन्यु सिंह पुत्र धनन्जय सिंह निवासी लजघटा थाना छावनी जनपद बस्ती का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 17/2021 धारा 323/427/504/506 भादसं व 51 आपदा प्रबन्धन एक्ट थाना छावनी जनपद बस्ती ।
2. मु0अ0सं0 78/21 धारा 307/504/506/427/34 भादसं थाना छावनी जनपद बस्ती ।

अभियुक्त शिवम तिवारी उर्फ कल्लू तिवारी पुत्र देवमणि तिवारी उम्र करीब 20 वर्ष निवासी बहवा कलानी थाना छावनी जनपद बस्ती का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 78/21 धारा 307/504/506/427/34 भादसं थाना छावनी जनपद बस्ती ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष पैकोलिया धर्मेन्द्र कुमार तिवारी जनपद बस्ती ।
2. उ0नि0 सुरेश यादव थाना पैकोलिया जनपद बस्ती ।
3. का0 जगतनरायन यादव थाना पैकोलिया जनपद बस्ती ।
4. हे0का0 राजेश प्रसाद चौहान थाना पैकोलिया जनपद बस्ती ।
5. का0 अभिषेक सिंह थाना पैकोलिया जनपद बस्ती ।
6. का0 प्रवीण कुमार यादव थाना पैकोलिया जनपद बस्ती ।